न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 179/2026

अनवान : –

1. दीपिका पुत्री स्व0 शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

2. विमला पत्नी रामस्वरूप जाति जांगिड़ साकिन ढढूर तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर भुमि स्थित है जिसमें वादिया के पिता शिशपाल का 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिशपाल के नाम दर्ज है जो की वादीया का पिता है। वादिया के पिता शिशपाल दिनांक 26.12.2017 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादिया के पिता की मृत्यु से पूर्व ही वादिया की माता विमला जोकि दिनांक 08.02.1991 को वादिया व उसके पति को छोडकर अन्यत्र करेवा (शादी) कर लिया है। वादिया के पिता शिशपाल फौत हो चूका है इसलिए उनकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी अकेली वादिया ही है तथा वादग्रस्त भुमि जो मृतक शिशपाल के नाम दर्ज है उसकी अकेली खातेदार काश्तकार है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भुमि अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। कृषि भुमि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर भूमि मृतक शिशपाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि नाम कलमजन करवाकर वादिया अकेली खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादिया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर भुमि स्थित है जिसमें वादिया के पिता शिशपाल का 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिशपाल के नाम दर्ज है जो की वादीया का पिता है। वादिया के पिता शिशपाल दिनांक 26.12.2017 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादिया के पिता की मृत्यु से पूर्व ही वादिया की माता विमला जोकि दिनांक 08.02.1991 को वादिया व उसके पति को छोडकर अन्यत्र करेवा (शादी) कर लिया है। वादिया के पिता शिशपाल फौत हो चूका है इसलिए उनकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी अकेली वादिया ही है तथा वादग्रस्त भुमि जो मृतक शिशपाल के नाम दर्ज है उसकी अकेली खातेदार काश्तकार है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भुमि अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। कृषि भुमि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर भूमि मृतक शिशपाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि नाम कलमजन करवाकर वादिया अकेली खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादिया न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर भुमि स्थित है जिसमें वादिया के पिता शिशपाल का 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार है। वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिशपाल के नाम दर्ज है जो की वादीया का पिता है। वादिया के पिता शिशपाल दिनांक 26.12.2017 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादिया के पिता की मृत्यु से पूर्व ही वादिया की माता विमला जोकि दिनांक 08.02.1991 को वादिया व उसके पति को छोडकर अन्यत्र करेवा (शादी) कर लिया है। वादिया के पिता शिशपाल फौत हो चूका है इसलिए उनकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी अकेली वादिया ही है तथा वादग्रस्त भुमि जो मृतक शिशपाल के नाम दर्ज है उसकी अकेली खातेदार काश्तकार है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भुमि अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। कृषि भुमि रोही मौजा सुरपुरा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के खाता संख्या 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर भूमि मृतक शिशपाल के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि नाम कलमजन करवाकर वादिया अकेली खातेदार काश्तकार है। वादीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड बहक बिमला देवी के मुताबिक बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप है अर्थात बिमला देवी द्वारा अन्यत्र विवाह कर लिया गया है एवं चित्रप्रति शपथ पत्र बहक बिमला पेश किया गया है जिसके मुताबिक बिमला द्वारा रामस्वरूप के साथ रहना स्वीकार किया गया है। मैनपाल व दलिप द्वारा शपथ पत्र इस आशय के पेश किये गये है कि बिमला द्वारा अन्यत्र शादी कर ली गई है शिशपाल के एकमात्र वारिस दीपिका है एवं वाद भूमि पर दीपिका अकेली काबिज है। वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 71/71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर मे से 1/6 हिस्सा भूमि शिशपाल पुत्र मनफुल के नाम दर्ज है, में मृतक शिशपाल पुत्र मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 179 / 2026

अनवान : –

1. दीपिका पुत्री स्व0 शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

2. विमला पत्नी रामस्वरूप जाति जांगिड़ साकिन ढढूर तहसील व जिला हिसार हरियाणा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 179 सन 2026 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री चन्द्रशेखर एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 71 / 71 के ख.न. 147 की 8.3340 हैक्टेयर मे से 1 / 6 हिस्सा भूमि शिशपाल पुत्र मनफुल के नाम दर्ज है, में मृतक शिशपाल पुत्र मनफुल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर